

राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR_SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक एफ 61(21)SSAAT / नियमावली / 2019 / 2719

दिनांक २१/११/२०२१

आदेश (अ.दि.सं. 37/2021)

सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम संस्कार व्यक्तियों का चयन किया जाना है। भारत सरकार की महात्मा गाँधी नरेंगा योजना Annual Master Circular 2019-20 के बिन्दु संख्या 10.1.4.2 तथा सामाजिक विकास विशेषज्ञ अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी विनियम, 2020 एवं संशोधित विनियम दिनांक 11.20 के प्रावधानों के अन्तर्गत सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य/जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निर्धारित समिति में निम्नानुसार मनोनयन करते हुए चयन समिति का गठन किया जाता है -

क्र.सं.	नियमों में गठित समिति	चयन समिति
1.	मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा.विभाग (वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.वि. एवं प.रा.वि. विभाग के पद पर किसी भी अधिकारी का पदस्थापन नहीं किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.वि. एवं प.रा. वि. के स्थान पर वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत शासन सचिव, ग्रा.वि.वि. को चयन समिति में सम्मिलित किया जाता है।)	शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग
3.	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (Member Convenor)	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज संस्थान के सामाजिक अंकेक्षण केन्द्र (Center for Social Audit), सिविल सोसायटी संगठन के राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/महिला बाल विकास विभाग/विधि विभाग के प्रतिनिधि	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

उपरोक्त समिति में नामित सदस्य श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की आई.डी. क्रमांक 2803/CS/21 दिनांक 15.6.21 अनुसार अनुमोदित है।

(डा. कृष्ण कान्त पाठक)
शासन सचिव, ग्रा.वि.वि.

क्रमांक एफ 61(21)SSAAT / नियमावली / 2019 / 2720-2726

दिनांक 21/6/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार सह अध्यक्ष, शासी निकाय, SSAAT
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग राजस्थान सरकार सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, SSAAT, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर
4. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव निदेशक, SSAAT
6. लेखाधिकारी(प्रशासन)/लेखाधिकारी (सामाजिक अंकेक्षण) /समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, SSAAT
7. रक्षित पत्रावली


(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT